न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/90/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांक: 2022/324

अपीलार्थी
श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा,
ग्राम–सैंथल, पोस्ट–प्रागपुरा वाया रैणी,
जिला–अलवर (राज.)–301702

बनाम

प्रत्यर्थी
राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
सक्षम प्राधिकारी व भूमि अवाप्ति अधिकारी,
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर

प्रवेश तिथि :: 21.07.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक: 23.08.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक: 09.06.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर "भूमि अधिग्रहण की एवज में मुआवजा राशि प्राप्ति हेतु निर्धारित (prescribed) आवेदन पत्र/प्रपत्र एवं संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची" के संबंध में सूचना/प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. अपीलार्थी के आक्षेप/कथनानुसार प्रत्यर्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) में विहित समयावधि में अपीलार्थी को किसी प्रकार की सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने अथवा किसी प्रकार के विनिश्चय से अवगत नहीं कराये जाने के कारण पत्र दिनांक: 12.07.2022 के माध्यम से निःशुल्क ही सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु इस न्यायालय को प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया। प्रत्यर्थी की ओर से वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना के संबंध में वांछित फोटोप्रति शुल्क जमा राजकोष कराए जाने उपरान्त प्रेषित करते हुए पत्र सं. 20125–20126 दिनांक: 02.08.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को पृष्ठांकित की गई है।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक: 09.06.2022, प्रथम अपील दिनांक: 12.07.2022 एवं प्रत्यर्थी की ओर से प्राप्त जवाब नोटिस का परीक्षण किया गया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा सूचना आवेदन दिनांक: 09.06.2022 में वांछित सूचना संबंधी दस्तावेजात् की प्रमाणित प्रति जारी करने हेतु जरिये पत्र सं 19934–36 दिनांक: 01.07.22 के माध्यम से रू. 40/– (रूपये चालीस मात्र) जमा राजकोष कराने हेतु लिखा गया है जो **अपीलार्थी द्वारा जमा राजकोष कराए जाने पर पत्र सं. प. 12–1(12)राजस्व/भूमि अवाप्ति/2018/20124–20126 दिनांक: 02.08.22 के माध्यम से सूचना प्रेषित की जा चुकी है।**
8. अतः उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा, अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्रेषित कर दिए जाने के कारण **अपील खारिज की जाकर निस्तारित** की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांक: 23.08.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)